रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 1987/आषाढ़ 17, 1909
No. 371] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 1987/ASADHA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 652 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1987 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1987 के नियम 11 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) कोई भी सदस्य बोर्ड के पास उपलब्ध स्टाफ कार का उपयोग, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो भारत सरकार के सचिव को लागू हैं, करने के लिए हकदार होगा, या उसके बदले में सात सौ पचास रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता लेगा:

परन्तु जहां कोई सदस्य इस उपनियम के अधीन यात्रा भत्ता का दावा करना चाहता है, वहां वह अपनी आरम्भिक नियुक्ति के पंद्रह दिन के भीतर या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1987 के प्रारम्भ के पंद्रह दिन के भीतर, उस प्रभाव के विकल्प का प्रयोग करेगा और इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प उसकी सेवावृत्ति के दौरान बदला नहीं जाएगा।"

[सं. 2(2)/86 बी आई एफ आर]

मनीश चन्द्र सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 8th July, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 652(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Rules, 1987, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) A member shall be entitled to make use of the staff car available with the Board on the same terms and conditions as applicable to a Secretary to the Government of India or in lieu thereof draw a conveyance allowance of seven hundred and fifty rupees per mensem :

Provided that where a member intends to claim conveyance allowance under this sub-rule, he shall, within 15 days of his initial appointment or within 15 days of the commencement of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Amendment Rules, 1987, exercise an option to that effect and the option so exercised shall not be changed during his tenure."

[F. No. 2(2)/86-BIFR]
M. C. SATYASWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987